सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः भवानी सिंह देथा, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या —89 / 2015 अपील (RCMS/2015/00034)
पंजीयन दिनांक —06.08.2015
निर्णय दिनांक —20.11.2018

1. श्री फतहलाल पिता स्व. श्री प्यारचन्द जैन, निवासी आरणी, तहसील राशमी, जिला चित्तौड़गढ़ हाल निवासी प्लॉट नम्बर 27, दुकान नम्बर—2, सेक्टर नम्बर—11, खारगर, नवी मुम्बई।

—अपीलान्ट

बनाम

1. श्री केसरीमल पिता स्व. श्री प्यारचन्द जैन,
2. श्री शान्तिलाल पिता स्व. श्री प्यारचन्द जैन,
3. श्री चम्पालाल पिता स्व. श्री प्यारचन्द जैन,

सर्वनिवासी आरणी, तहसील राशमी, जिला चित्तौड़गढ़

—रेस्पोडेन्टस्

उपस्थितिः—
1. श्री पी.सी.पालीवाल — वकील अपीलान्ट

अपील अर्न्तगत धारा—76 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध निर्णय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ प्रकरण संख्या 39 / 2012 दिनांक 30.03.2015

निर्णय

दिनांक 20.11.2018

अपीलान्ट द्वारा यह अपील अर्न्तगत धारा—76 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध निर्णय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ प्रकरण संख्या 39 / 2012 दिनांक 30.03.2015 के विरुद्ध पेश की गई है।

इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है किअधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ समक्ष रेस्पोडेंट संख्या—1 द्वारा एक अपील इस आशय से पेश किया कि तहसील राशमी के ग्राम आरणी में सयुंक्त खातेदारी में अंकित

खाता संख्या 942 में खातेदार श्री गौरीलाल की मृत्यु के उपरान्त उसके हिस्से की 1/5 हिस्से की भूमि गौरीलाल की पत्नि सोहनबाई के नाम दर्ज हुई। गौरीलाल की मृत्यु के उपरान्त उनकी पगड़ी श्री शान्तिलाल, जो सोहनबाई के देवर है, को बंधवाई गई व तदुपरांत सोहनबाई का भरण पोषण एवं कृषि कार्य की देखरेख शान्तिलाल के द्वारा की जा रही है। सोहनबाई ने एक वसीयतनामा केसरीमल जो सोहनबाई के देवर, के पक्ष में लिखा जिसमें वसीयतानाम लिखने के उद्देशय को बतातें हुए अंकित किया कि शान्तिलाल के कोई ओलाद नहीं है तथा वे स्वयं व शान्तिलाल दोनों केसरीमल के साथ निवास करते है व लालन–पालन, भरण पोषण केसरीमल द्वारा किये जाने से उसके हिस्से की 1/5 भूमि केसरीमल के नाम की जावें। सोहनबाई की मृत्यु हो जाने पर उक्त वसीयतनामें के आधार पर सोहनबाई के हिस्से की भूमि केसरीमल के नाम अंकित करने हेतु श्री केसरीमल द्वारा तहसीलदार, राशमी के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। बाद सुनवाई तहसीलदार, राशमी ने वसीयतनामा अपंजीकृत होने से नहीं मानते हुए तथा पुश्तैनी भूमि होने से उसे वसीयत करने का अधिकार सोहनबाई को नहीं होने से सोहनबाई के हिस्से की 1/5 भूमि को विरासत से सभी जीवत खातेदारान के नाम अंकित करने के आदेश दिनांक 03.01.2012 को पारित किये। रेस्पोडेंट संख्या–1 श्री केसरीमल द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ समक्ष अपील प्रस्तुत की।

अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ द्वारा निर्णय दिनांक 30.03.2015 से अपील स्वीकार कर तहसीलदार, राशमी का आदेश दिनांक 03.01.2012 निरस्त करते हुए पत्रावली निर्णय में वर्णित आब्जर्वेशन को ध्यान में रखते हुए पुनः उचित कार्यवाही कर नामान्तरकरण जारी करने हेतु प्रतिप्रेषित किया।

उक्त निर्णय से क्षुब्ध होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील पेश की गयी है।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टस् को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। वकील अपीलान्ट उपस्थित। रेस्पोडेंटस् की ओर से कोई उपस्थित नहीं। वकील अपीलान्ट की एकतरफा बहस दिनांक 12.11.2018 को सुनी गई। विद्वान वकील रेस्पोडेंट संख्या–1 द्वारा लिखित बहस दिनांक 16.11.2018 को प्रस्तुत की।

विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपनी बहस में बताया कि ग्राम आरणी, तहसील राशमी में अपीलान्ट एवं रेस्पोडेंटस् की पैतक संयुक्त खातेदारी की भूमि स्थिति है, जिनके परिवार का सजरा निम्नानुसार है–

श्री प्यारचन्दजी

|

|——————— |—————— |——————— |——————— |

गौरीलाल शान्तिलाल केसरीमल चम्पालाल फतहलाल

|

सोहनाबाई (मृतक)
(ला–औलाद फोत)

उक्त संयुक्त खातेदारी श्री गौरीलाल की मृत्यु होने पर विरासत के आधार पर उसके एकमात्र जीवित उत्तराधिकारी उनकी पत्नि श्रीमती सोहनबाई के नाम उनके हिस्से की भूमि अंकित की गई। सोहनबाई की मृत्यु होने के उपरान्त तहसीलदार, राशमी द्वारा नामान्तरकरण की कार्यवाही के दौरान अपीलान्ट व रेस्पोडेंटस् को सूचना प्रदान की गई और जांच एवं कार्यवाही की गई जिसमें पटवारी हल्का से रिपोर्ट मंगवाई गई जिसमें पटवारी हल्का द्वारा सजरा प्यारचन्दजी जैन अंकित किया गया एवं जांच में यह तथ्य सामने आया कि मृतक खातेदार सोहनबाई बेवा गौरीलाल महाजन के कोई जायन्दा पुत्र, पुत्री नहीं है एवं उक्त भूमि पुश्तैनी है जिसके बाबत् रेस्पोडेंट संख्या–1 द्वारा एक अनरजिस्टर्ड वसीयतनामा भी प्रकट किया गया। तहसीलदार द्वारा पत्रावली पर प्रस्तुत हुए तथ्यों एवं जांच करने पर मृतक के प्रथम श्रेणी के कोई उत्तराधिकारी नहीं होने की वजह से द्वितीय श्रेणी के उत्तराधिकारी खातेदार सोहनबाई के मृत पति स्व. गौरीलाल के सगे भाईयों के नाम नामान्तकरण करने करने का आदेश सुनाया। उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर रेस्पोडेंट संख्या–1 द्वारा मयाद बाहर अपील न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर के समक्ष प्रस्तुत की जिसमें मयाद के बिन्दु को तय किये बिना विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया गया। रेस्पोडेंट संख्या–1 मृतक श्रीमती सोहनबाई की तथाकथित वसीयत एवं उत्तराधिकारी के रूप में कुछ मान्यता के आधार पर अपना अधिकार प्रकट कर रहा है। उक्त दोनों गोद–पुत्र एवं वसीयत के आधार पर संक्षिप्त कार्यवाही में नामान्तरकरण की कार्यवाही में तय नहीं किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा संदेहास्पंद वसीयत की जांच करवाई जानी थी जो नहीं करवाई गई। तहसीलदार द्वारा पारित आदेश उचित एवं कानूनी है। रेस्पोडेंट संख्या–1 द्वारा तथाकथित वसीयत के आधार पर अपना हक रखता है तो वह नियमित वाद कर अपना वसीयत साबित करावें। तहसीलदार के समक्ष मृतक सोहनबाई के नामान्तरकरण कार्यवाही कन्टेस्टेड होने के वजह से प्रथम अपील न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर को सुनने का अधिकार निहित नहीं था। अन्त में वकील अपीलान्ट द्वारा अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 30.03.2015 को निरस्त

करने एवं तहसीलदार, राशमी का निर्णय दिनांक 03.01.2012 को बहाल रखने का अनुरोध किया है।

विद्वान वकील रेस्पोडेंट द्वारा लिखित बहस में बताया कि जो भूमि गौरी लाल के नाम दर्ज हुई थी, वह अपीलान्ट व रेस्पोडेंटगण के मुकाबले उनकी स्वअर्जित भूमि हो गयी थी और उसकी मृत्यु के बाद उक्त आराजी में स्थित हिस्सा उनकी पत्नि सोहनबाई के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज हुआ और वह एक मात्र सम्पूर्ण भूमि की उत्तराधिकारी हुई। सोहनबाई ने अपने जीवन काल में केसरीमल के हक में एक वसीयतनामा, अंतिम इच्छा पत्र दिनांक 30.10.2002 को निष्पादित किया और सोहनी बाई की दिनांक 28.07.2007 को मृत्यु होने उपरान्त केसरीमल द्वारा उक्त वसीयत के आधार उक्त भूमि उनके नाम दर्ज करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था, जिसका निर्णय उनके पक्ष में नहीं होने से अतिरिक्त जिला कलक्टर के समक्ष प्रस्तुत की गई और प्रकरण रिमांड किया गया जिसमें न्यायालय द्वारा केसरीमल के पक्ष में की गई वसीयत को सही मानते हुए सोहनबाई के बजाये राजस्व रेकार्ड में उपरोक्त आराजीयात केसरीमल के नाम दर्ज करने का आदेश दिया। उक्त वसीयत को आज दिनांक तक चैलेंज नहीं किया गया, उसे झुठा नहीं बताया गया है, वसीयत पर स्वयं अपीलान्ट के हस्ताक्षर है और उक्त वसीयत को साबित करने के लिये अपीलान्ट द्वारा गवाहन को भी अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किये गये। श्रीमती सोहनी बाई को उपरोक्त आराजीयात की वसीयत करने का पूर्ण अधिकार था क्योंकि श्रीमती सोहनीबाई की उपरोक्त आराजीयात स्वअर्जित हो चुकी थी उसके अन्य किसी को कोई हक एवं अधिकार नहीं था। विद्वान वकील रेस्पोडेंट द्वारा अपील अपीलान्ट निरस्त फरमाई जाने का अनुरोध किया।

हमने उपस्थित अधिवक्ता की बहस एवं विद्वान वकील रेस्पोडेंट संख्या–1 की लिखित बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का गहनता से अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली से स्पष्ट प्रतीत होता है कि सोहनबाई की मृत्यु होने के उपरान्त तहसीलदार, राशमी द्वारा नामान्तरकरण की कार्यवाही के दौरान सभी पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। कथित वसीयत के संदर्भ में विस्तृत जांच करवाई गई, पटवारी द्वारा अपनी रिपोर्ट में बताया गया कि सोहनबाई, वसीयतकर्ता, द्वारा जिस सम्पत्ति की वसीयत की गई वह सम्पत्ति स्वअर्जित ना होकर पुश्तैनी है। स्वअर्जित सम्पत्ति की ही वसीयत की जा सकती है, पुश्तैनी सम्पत्ति की वसीयत नहीं की जा सकती है। प्रश्नगत प्रकरण में विवादित भूमि सोहनबाई की स्वअर्जित न होकर पुश्तैनी है। नामान्तकरण की कार्यवाही एक फिसकल प्रोसेडिंग है। नामान्तकरण कोई हित या स्वामित्व उत्पन्न नहीं करती है ना ही उत्तराधिकार का कठिन विवाद्यक वसीयत या गोद नामान्तरकरण की कार्यवाही में

निश्चय किया जा सकता है और पक्षकारों को स्वामित्व स्थापित करने हेतु उचित संस्थान में जाना होगा एवं सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत करना होगा। तथाकथित वसीयत की वैधता के संबंध में कोई अंतिम निष्कर्ष देना राजस्व न्यायालय के लिए नामान्तकरण की संक्षिप्त कार्यवाही में संभव नहीं है। कथित वसीयत अपंजीकृत होकर अपंजीकृत दस्तावेज के आधार नामान्तकरण की कार्यवाही न्यायाचित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार, राशमी द्वारा नामान्तरकरण कार्यवाही दौरान पटवारी हल्का से कराई गई जांच एवं की गई कार्यवाही पर पूर्णतया विचार नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ द्वारा उपरोक्त परिस्थितियों और कानूनी बिन्दुओं पर विचार एवं विश्लेषण नहीं कर पारित किया निर्णय दिनांक 30.03.2015 पूर्णतया विधि स्वरूप न होकर अपास्त योग्य है।

तहसीलदार के समक्ष मृतक सोहनबाई के नामान्तरकरण कार्यवाही कन्टेस्टेड होने के वजह से प्रथम अपील का क्षैत्राधिकार न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर को न होकर न्यायालय संभागीय आयुक्त को हैं, जिससे अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 30.03.2015 Bad in law होकर अपास्त योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ का निर्णय का दिनांक 30.03.2015 Bad in law होकर अपास्त किया जाता है। पक्षकार कार्यवाही हेतु सक्षम न्यायालय में काराजोही करें।

निर्णय आज दिनांक 20.11.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(भवानी सिंह देथा)
संभागीय आयुक्त
उदयपुर